

केवल सदस्यों के लिये

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प(77/7) ई.सी. बैठक/98/2837

दिनांक 31-10-98

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 71वीं बैठक दिनांक 26.10.98 का कार्यवाही विवरण।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांकप.(77/71) ईसी/ बैठक/98/2786 दिनांक 9.10.98 कि अन्तर्गत जारी सूचना पत्र के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 71वीं बैठक 26.10.98 को अपरान्ह 3.00 बजे समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट-‘क’ पर सलग्न है।

बैठक में विचार विमर्श पश्चात एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नांकित विवरणानुसार निर्णय लिये गये।

- | | | |
|----------------|------|---|
| प्रस्ताव | 71.1 | कार्यकारी समिति की 70वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि। |
| पारित प्रस्ताव | 71.1 | कार्यकारी समिति की 70वीं बैठक दिनांक 13.8.98 के कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया जाकर पुष्टि की गई। |
| प्रस्ताव | 71.2 | कार्यकारी समिति की 70वीं बैठक निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट। |
| पारित प्रस्ताव | 71.2 | कार्यकारी समिति की 70वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन किया जाकर अनुमोदन किया गया। |
| प्रस्ताव | 71.3 | वर्कचार्ज कर्मचारियों के नियमितीकरण बाबत। |
| पारित प्रस्ताव | 71.3 | प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही कार्यकारी समिति ने यह भी निर्देशित किया कि यदि किसी च.श्रे.क./बेलदार को स्वेच्छा से विकल्प देने एवं योग्य पाये जाने की स्थिति में किसी अन्य संवर्ग के रिक्त पद पर नियुक्ति दी जाती है तो इसके फलस्वरूप च.श्रे.क./बेलदार का रिक्त होने वाला पद स्वतः ही समाप्त हो जावेगा। |

(कार्यवाही: अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन)



- 1 -


सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

केवल सदस्यों के लिये

- प्रस्ताव 71.4 प्राधिकरण में कार्यरत बेलदार/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में।
- पारित प्रस्ताव 71.4 कार्यकारी समिति ने प्रस्ताव का अनुमोदन टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले समस्त 17 बेलदारों के सन्दर्भ में करते हुये उन्हें कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत करने का निर्णय लिया और इस हेतु सीधी भर्ती कोटा के कनिष्ठ सहायकों के 20 पदों में से 13 पद को संबंधित विनियमों के प्रावधानों में एक बारीय शिथिलता प्रदान करते हुये पदोन्नती से भरे जाने का निर्णय लिया ताकि पदोन्नती कोटा के स्पष्ट रूप से रिक्त 4 पदों व उक्त 13 पदों को मिलाकर सभी 17 बेलदारों की कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नती के लिये आवश्यक कुल 17 रिक्त पद उपलब्ध हो सके। यह शिथिलता पूर्णतया एक बारीय होगी और भविष्य में इस तरह के प्रकरणों पर विचार करते समय इसे पूर्वोदाहरण के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकेगा। भविष्य में कनिष्ठ सहायक के पदों पर सीधी भर्ती व पदोन्नती के निर्धारित अनुपात 90:10 को कठोरता पूर्वक लागू करने का निर्णय लिया गया ताकि आनुपातिक सन्तुलन पुनः प्राप्त किया जा सके। जहाँ तक सीधी भर्ती कोटा के 7 रिक्त पदों को भरे जाने का संबंध है इन पदों की आवश्यकता की समीक्षा करली जावे और भविष्य में इन्हे कार्यकारी समिति की पूर्वानुमति के बगैर नहीं भरा जावे।

(कार्यवाही: अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन)

- प्रस्ताव 71.5 प्राधिकरण सेवा/प्रतिनियुक्ति सेवा अधिकारी/कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में।

- पारित प्रस्ताव 71.5 प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही: अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन)

- प्रस्ताव 71.6 प्रतिनियुक्ति पर प्राधिकरण में आये अधिकारियों को आवास आवंटन नहीं होने की स्थिति में मकान किराया का भुगतान किये जाने बाबत ।

- पारित प्रस्ताव 71.6 प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जाकर निर्देशित किया गया कि अन्य राजकिय विभागों/निगमों/बोर्ड/उपक्रम इत्यादि में प्रचलित




सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

केवल सदस्यों के लिये

व्यवस्था का अध्ययन कर यथाशीघ्र स्वतःपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे।

(कार्यवाही: अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन)

- | | | |
|----------------|------|---|
| प्रस्ताव | 71.7 | श्री देवीसहाय कानव को वरिष्ठता अनुसार नियुक्ति एवं पदोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। |
| पारित प्रस्ताव | 71.7 | प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर निर्णय लिया गया कि श्री कानव को परिणामात्मक (Consequential) परिलाभ न देते हुऐ पदोन्नत्ती दी जावे। पदोन्नती के फलस्वरूप इन्हे केवल नोशनल बेनिफिट ही देय होंगे। |

(कार्यवाही: अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन)

- | | | |
|----------------|------|---|
| प्रस्ताव | 71.8 | चित्रकूट आवासीय योजना में लाटरी द्वारा आवंटित संख्या एफ 1/166 के नियमितीकरण बाबत। |
| पारित प्रस्ताव | 71.8 | प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर प्रकरण को नियमितीकरण हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। |

(कार्यवाही: अतिरिक्त आयुक्त, जोन सी-1/निदेशक (वित्त))

- | | | |
|----------------|------|--|
| प्रस्ताव | 71.9 | निविदा क्रय की प्रक्रिया के नवीनीकरण के सम्बन्ध में। |
| पारित प्रस्ताव | 71.9 | प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। |

(कार्यवाही: निदेशक अभियांत्रिकी)

- | | | |
|----------------|-------|---|
| प्रस्ताव | 71.10 | चित्रकूट आवासीय योजना में लाटरी द्वारा अवंटित भूखण्ड संख्या सी 1/482 के नियमितिकरण बाबत। |
| पारित प्रस्ताव | 71.10 | प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर प्रकरण को नियमितीकरण हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने को निर्णय लिया गया। |

(कार्यवाही: अतिरिक्त आयुक्त, जोन सी-1/निदेशक (वित्त))




केवल सदस्यों के लिये

- प्रस्ताव 71.11 शेड्यूल ऑफ पावर में संशोधन बाबत
- पारित प्रस्ताव 71.11 प्रस्ताव के आइटम संख्या 4 को अस्वीकृत कर दिया गया तथा आइटम संख्या 22 का अनुमोदन किया गया।
- (कार्यवाही: निदेशक अभियांत्रिकी)
- प्रस्ताव 71.12 चित्रकूट आवासीय योजना में लाटरी द्वारा आवंटित भूखण्ड संख्या सी 9/21 के नियमितीकरण बाबत।
- पारित प्रस्ताव 71.12 प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर प्रकरण को नियमितीकरण हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने को निर्णय लिया गया।
- (कार्यवाही: अतिरिक्त आयुक्त, जोन सी-1/निदेशक (वित्त))
- प्रस्ताव 71.13 चित्रकूट आवासीय योजना में लाटरी द्वारा आवंटित भू0 सं0 बी 1/521 के नियमितीकरण बाबत।
- पारित प्रस्ताव 71.13 प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर प्रकरण को नियमितीकरण हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने को निर्णय लिया गया।
- (कार्यवाही: अतिरिक्त आयुक्त, जोन सी-1/निदेशक (वित्त))
- प्रस्ताव 71.14 चित्रकूट योजना में लाटरी द्वारा आवंटित भू0सं0 बी 1/106 के नियमितीकरण बाबत।
- पारित प्रस्ताव 71.14 प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर प्रकरण को नियमितीकरण हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने को निर्णय लिया गया।
- (कार्यवाही: अतिरिक्त आयुक्त, जोन सी-1/निदेशक (वित्त))
- प्रस्ताव 71.15 निर्मित दुकान सं0 8 गन्दा नाला पॉच बत्ती, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, व्या.काम्पलेक्स की नीलामी नियमित करने के सम्बन्ध में।
- पारित प्रस्ताव 71.15 प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- (कार्यवाही: निदेशक (वित्त))



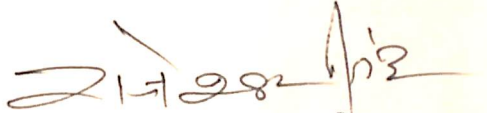

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

केवल सदस्यों के लिये

- प्रस्ताव 71.16 ज.वि.प्रा. अपील अधिकरण के समक्ष पैरवी कर रहे श्री गोविन्द लाल शर्मा, अधिवक्ता की पैरवी फीस के संशोधन बाबत।
- पारित प्रस्ताव 71.16 प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
(कार्यवाही: निदेशक (विधि))
- प्रस्ताव 71.17 प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि में 4 वर्ष पश्चात अभिवृद्धि के सम्बन्ध में।
- पारित प्रस्ताव 71.17 प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
(कार्यवाही: अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन)


सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

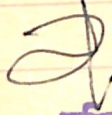

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय टिप्पणी

जयपुर विकास प्राधिकरण

Chairman जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 71 वीं बैठक *J.D.C.* दिनांक 26.10.98 को अपरान्ह 3 बजे समितित कक्ष मे आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी/सदस्य उपस्थित हुवे :

क्र.सं.	नाम अधिकारी/सदस्य मय पद	हस्ताक्षर
1.	Sh. A. Shreshth Bhatnagar	
2.	A.K. OJHA D.S. UD	
3.	SAHIB RAM C.C.E	
4.	SWADESH PAL A. C. E. PHED	
5.	J.K. Bhatt. Dir. (TP) JDA	
6.	R. P. Wahi Asst. Engr	
7.	L.R. Singh LE I	
8.	V.L. Sharma Director (P)	
9.	A.R. MWA-AL ACCA	
10.		
11.		


 सचिव,
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर